



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2012]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2013/भाद्र 5, 1935

No. 2012]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2013/BHADRA 5, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2013

का.आ. 2615(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2013 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 में,—
 - नियम 2 के खंड (घ), के उप-खंड 3 में पैरा 2, स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा;
 - स्पष्टीकरण 3 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 4—चावल की सभी अधिसूचित किस्मों को बासमती चावल बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) के उपबंधों के अधीन बासमती चावल के रूप में अधिसूचित चावल की सभी किस्में बासमती चावल की किस्मों के रूप में मानी जाएंगी ।”

[फा. सं. 2/39/2012—निर्यात निरीक्षण]

ए. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में, संख्यांक का.आ. 68(अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्वी संशोधन संख्यांक का.आ. 1139 तारीख 15 मई, 2004, संख्यांक का.आ. 716 तारीख 5 मार्च, 2005 और संख्यांक का.आ. 791(अ) तारीख 24 मई, 2006 द्वारा किए गए ।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2013

S.O. 2615 (E).— In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003—
 - (i) in rule 2, in sub-clause (d), in sub-clause (iii), paragraph 2, Explanation 1 and Explanation 2 shall be omitted;
 - (ii) after Explanation 3, the following Explanation shall be inserted, namely :—

“Explanation 4.—All varieties of rice notified as Basmati under the provisions of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) shall be considered as varieties of Basmati rice”.

[F. No. 2/39/2012-Export Inspection]

ASIT TRIPATHY, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, vide number S.O. 68(E), dated the 23rd January, 2003 and subsequently amended vide number S.O. 1139, dated the 15th May, 2004, S.O. 716, dated the 5th March, 2005 and S.O. 791(E), dated the 24th May, 2006.

आदेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2013

का.आ. 2616(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के (वाणिज्य विभाग) के आदेश संख्यांक का.आ. 67 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 में संशोधन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव बनाती है और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम 2 की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को प्रेषित किया है और उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों पर इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहता है तो वह इन प्रस्तावों को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्, तीसरा तल, नई दिल्ली वाईएमसीए, कल्चरल सेंटर बिल्डिंग, 1, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001 को भेज सकेगा।

प्रारूप प्रस्ताव

केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्यांक का.आ. 67 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जो राजपत्र में अंतिम प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

इस आदेश में,—

- (क) पैराग्राफ (3) के उप-पैरा (क) का लोप किया जाएगा,
- (ख) पैराग्राफ (4) में निम्नलिखित, परन्तु अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“परन्तु भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 481(अ) तारीख 25 जुलाई, 1991, संख्यांक का.आ. 482 (अ) तारीख 25 जुलाई, 1991 और संख्यांक का.आ. 929 (अ) तारीख 4 दिसम्बर, 1990 में स्वीकृत रियायतें यथावश्यक परिवर्तन सहित बासमती चावल के निर्यात को लागू होंगी”;
- (ग) पैराग्राफ (6) का लोप किया जाएगा;
- (घ) अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—